

# फर्द अहकाम

2022/118

सहायक कलेक्टर चौमू  
 मालीराम वर्गे वनाम श्री कृष्ण शिक्षा शोध संस्थान  
 गोविन्दगढ़  
 मुकदमा संख्या / वर्ष T.I. 51 / 20 22

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	अन्तर्गत धारा 212 RT. Act. आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
06/7/22		<p>रविश पारीक वकील ने प्रा.पत्र बख्शने निषेधात्मक पैरा किया। रिपोर्ट है भुक्ति है। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर है। बख्श वकील प्रार्थी एकपक्षीय सुनी गयी उन्मपक्ष को जरिये अन्तरिम अख्यारि निषेधात्मक से इस कउर पाबन्द किया जाता है कि विवाहित आ.ख.न. 1398/1942 रकबा 0.20 है. भूमि वाले गोविन्दगढ़ तह. चौमू जिला जमपुर के मॉरी के यथास्थिति वनाम रखने के आदेश दिये जाते हैं। इसमें कोई आपत्ति है वा आगामी दिनांक 06/9/22 को पैरा करी अग्रणी गण को नोटीस जारी की 882</p>	
28/7/22		<p>आज यह पत्रावली मुख वाड में प्रा.पत्र विद्वा ल पैरा होने पर तलब की गयी प्रार्थीगण मम अधिकता के उपस्थित बिन्ध निवेशन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सखती से राजीनामा हो गया है। प्रकरण में आगे कोई अपवाधि नहीं पाये है। प्रकरण को विद्वा डिम जाने के अनुमति पाकर निवेशन किया प्रार्थीगण के पहचान उनके अधिकता रोकरा प्ररीक डेरा के गयी। पत्रावली ल अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण के प्रा.पत्र के विद्वा डिम जाने के अनुमति की जाती है। प्रा.पत्र विद्वा के आधार</p>	<p>सहायक कलेक्टर चौमू (जयपुर)          मालीराम वर्गे वनाम श्री कृष्ण शिक्षा शोध संस्थान          गोविन्दगढ़ तह. चौमू जिला जमपुर          अशोक (28/7/22)          राजेश कुमार          मंडल          सुरेश कुमार          नि. तलब डिम          882</p>

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
		<p>पर खारिज किया जाता है प्रकल्प  दफ नम्बर १५ नक वीकर शखिल  दफ नर बी ६६६  सहायक कलक्टर  चौधू (जयपुर)</p>	